संख्या-5 /2019/1979/सत्तर-4-2018-8(4)/2018

प्रेषक,

मनोज कुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
2. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में सेमिनार आयोजित किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एक्सपर्ट पैनल द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके विश्वविद्यालय में सेमिनार/वर्कशॉप/कान्फ्रेंस आयोजित किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार रू0 14,00,000/- (रूपये चौदह लाख मात्र) की धनराशि कोषागार से आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	सेमिनार का शीर्षक	स्तर	एक्सपर्ट पैनल द्वारा संस्तुत धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1-	डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद **Department of Biochemisty**	**National Conference on interdisciplinary Advancement in Biochemistry (NCIAB) 2018**	राष्ट्रीय	1.50 लाख	1.50 लाख
2-	डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद **Head of Department**	**National Conference on Recent Advances in Material Science and Electronice (RAMES) 2019**	राष्ट्रीय	1.50 लाख	1.50 लाख
3	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ **Head of Department of Sanskrit & Prakrit Languages**	संस्कृततवाड़् मय में नीतितत्व विमर्श	राष्ट्रीय	1.50 लाख	1.50 लाख
4	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ **Department of Geology**	**Role of Remote Sensing Gis in Natural Hazard Assesment : Present Scenario and Future**	राष्ट्रीय	1.50 लाख	1.50 लाख

		Prospective for Sustainable Development.			
5	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ **Department of Biochemisty**	**Recent advances in Applied Biochemistry and Biotechnology.**	राष्ट्रीय	1.00 लाख	1.00 लाख
6	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। **Department of Physical Education**	**"Utility of Physical Education, Fitness, Wellness, and Health in Present Scenario"**	अन्तर्राष्ट्रीय	2.00 लाख	2.00 लाख
7	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर **Department of Zoology**	**International Conference on Advances in Biological and Environmental Research for Human Welfare (ICABERHW)-2018**	अन्तर्राष्ट्रीय	2.00 लाख	2.00 लाख
8	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर **Department of English**	**"Imagi/nation: Literature and Nationalism in Postcolonial India.**	राष्ट्रीय	1.50 लाख	1.50 लाख
9	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर **Department of Physics**	**National Symposium on Advanced Materials Science.**	राष्ट्रीय	1.50 लाख	1.50 लाख

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के बिल पर सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। स्वीकृत अनुदान का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये उक्त धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

3- उपरोक्त स्वीकृत अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा कार्यालय महालेखाकार को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा। यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे तत्काल समर्पित कर दिया जायेगा। सेमिनार सम्पन्न होने के पश्चात कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि सेमिनार आयोजित होने की पुष्टि करते हुये धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायेंगे।

4- आयोजक संस्था/विभाग द्वारा राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स/सेमिनार के आयोजन में बाहर से रिसोर्स पर्सन/विशेषज्ञों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी तथा यात्रा भत्ता व अन्य मदवार व्यय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के व्यय में राज्य सरकार के सुसंगत वित्तीय नियम लागू होंगे।

5- आयोजक संस्था/विभाग द्वारा सेमिनार/वर्कशॉप/कान्फ्रेन्स के आयोजन हेतु निर्गत नियमावली/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6- सेमिनार आयोजित होने के एक माह के भीतर उसका कार्यवृत एवं उपलब्धियां तथा फोटोग्राफ उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज एवं उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जायेगें। ताकि उसे

उच्च शिक्षा निदेशालय एवं उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर विद्यार्थियों/प्राध्यापकों के उपयोगार्थ प्रदर्शित किया जा सके।

7- सेमिनार के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-298/सत्तर-4-2010-46(74)/2009 दिनांक 03 फरवरी 2010 द्वारा निर्गत किये गये हैं। सेमिनार के आयोजन में इन दिशा-निर्देशों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- अनुमन्य धनराशि का 3 प्रतिशत रिसोर्स पर्सन के यात्रा भत्ता एवं पेपर प्रजेण्टेशन हेतु, प्री-कान्फ्रेन्स प्रिन्टिंग हेतु 15 प्रतिशत प्रोसिडिंग की प्रिंटिंग हेतु 20 प्रतिशत बोर्डिंग एवं लाजिंग हेतु 25 प्रतिशत तथा कांटिजेन्सी मद में 10 प्रतिशत धनराशि व्यय की जायेगी।

9- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-73 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-14-प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सेमिनार तथा सिम्पोजियम-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर-वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार) 3/1

विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सूचना आडिट), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा , उ0प्र0 प्रयागराज ।
4. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)

अनु सचिव